रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012025-260569 CG-DL-E-29012025-260569

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] No. 511] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2025/माघ 8, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2025/MAGHA 8, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 28 जनवरी 2025

का.आ. 515(अ.)— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर,2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (i) डा. उन्नामतला प्रकाशम,30, अरण्य एन्कलेव, 80 फुट रोड़,बगमुगलिया, भोपाल 462043
- (ii) प्रो. डा. टोमो रीबा, उप कुलपति, अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिल टॉप, पासीघाट-791103, पूर्वी सीयांग, अरुणाचल प्रदेश

सदस्य; और

अध्यक्ष;

723GI/2025 (1)

- 2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- 4. प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा।
- 5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जांएगे और साधारणतया सर्वसम्मत होंगे :

परंतु यह कि विनिश्चय बहुमत द्वारा लेने की दशा में इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्टतया अभिलिखित किए जांएगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

- 6. केंद्रीय सरकार, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अरुणाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
 - (i) डा. प्रकाश नागेशराव तिरुमली, अध्यक्ष; डी-1029, ब्रिगेड 7 गार्डन, पादुकामान्दिरा रोड़, सुब्रमण्यपुरा, भारत हाउसिंग सोसायटी, उत्तराहल्ली, बैंगलोर 560061
 - (ii) श्री गोविंदाराजालू श्रीनिवासन, सदस्य; 319, निर्माण अपार्ट, मयूर विहार, फेस 1 एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110091
 - (iii) डा. रानी झा, सदस्य; संयुक्त् रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक, आईएसबीएम विश्वविद्यालय कैंपस नवापारा (कोसमी), ब्लाक और तहसील – छुरा, गरियाबंद, छत्तीसगढ़- 493996
 - (iv) डा. शांताबाला देवी गुरुमयूम, सदस्य; भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण, अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्रीय केंद्र, सेंकी वेली, ईटानगर, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश
 - (v) डा. अशोक कुमार त्रिपाठी, सदस्य; गांव कझिडीहा (निकट प्राथमिक स्कूल), डाकघर/पुलिस थाना – मधुपतना – जिला कट्टक, राज्य – ओडिशा – 753010
 - (vi) श्री टापू गपक, सदस्य; ए-सेक्टर, रकप कॉलोनी सड़क, निकट अरबन होस्पीटल , नेहरलागुन डाकघर /पुलिस थाना-नेहरलागुन, पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
 - (vii) डा कृष्णा चोलू, सदस्य; सुपुत्री श्री पुलीनचोलू रेंज अधिकारी नामसाई , मकान सं. ई-148, निकट वन आईबी नामसाई, डाकघर /पुलिस थाना- नामसाई, जिला नामसाई, अरुणाचल प्रदेश 792103

(viii) डा. अजय भारती. सदस्य: सिविल इंजीनियरिंग विभाग, उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, नीरझली -791109. अरुणाचल प्रदेश श्री मैथीम लिंगी. (ix) सदस्य: माय-II, डाकघर और पुलिस थाना – रोइंग लोअर दीबांग वैली, जिला, अरुणाचल प्रदेश - 792110 (x) प्रो. (डा.) शैलेन्द्र चौधरी, सदस्य: 295. शिव मंदिर मार्ग, जरुरी बाजार, रानीखेत -263648, जिला-अलमोड़ा (उत्तराखंड) क्षेत्रीय कार्यालय. (xi) सदस्य: और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिलांग का प्रतिनिधित्व करने वाले वैज्ञानिक (xii) निदेशक. सदस्य सचिव। पर्यावरण, कार्यालय पीसीसीएफ, ईटानगर

- 7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।
- 8.सिमति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- 9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन सकती है, तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा ।
- 10. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, -
- (i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य, -
 - (क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं।
 - (ख) परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे और सहयोग नहीं करेंगे, जिसे उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है या जिसका समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना है ।
- (ii) यदि प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है, तो उस दशा में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठकों से स्वयं को दूर रखेंगे।
- 11. अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार प्राधिकरण और सिमति के लिए सिचवालय के रुप में कार्य करने के लिए अभिकरण विनिर्दिष्ट करेगी और सिचवालय उक्त अधिसूचना के अधीन वित्तीय और संभार तंत्र सहायता जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।
- 12. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-11013-16/2008–आईए. II (I)] रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

S.O. 515(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Arunachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: —

- (i) Dr. Unnamatla. Prakasham, Chairman; 30, Aranya Enclave, 80 Feet Road, Bagmugaliya, Bhopal-462043
- (ii) Prof. Dr. Tomo Riba, Member; and Vice Chancellor,
 Arunachal Pradesh University Hill-Top,
 Pasighat-791103, East Siang, Arunachal
 Pradesh
- (iii) Chief Conservator of Forest (Environment and Member Secretary.Climate Change)
- 2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Arunachal Pradesh.
- 5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous: Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.
- 6. The Central Government, in consultation with the State Government of Arunachal Pradesh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Arunachal Pradesh (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:—
 - (i) Dr. Prakash Nageshrao Thirumali,

- Chairperson;

D-1029, Brigade 7 Gardens, Padhukamandira Road, Subramanyapura, Bharath Housing Society, Uttarahalli, Banglore-560061 (ii) Shri. Govindarajalu Srinivasan, - Member; 319, Nirman Apts, Mayur Vihar, Phase-I, Ext. New Delhi-110091 (iii) Dr. Rani Jha, - Member; Joint Registrar and Controller of Examination, ISBM University Campus Nawapara (Kosmi), Block and Tehsil-Chhura, Gariyaband, Chhattisgarh-493996 (iv) Dr. Shantabala Devi Gurumayum, - Member; Zoological Survey of India, Arunachal Pradesh, Regional Centre, Senky Valley, Itanagar, Papum pare, Arunanchal Pradesh (v) Dr. Ashok Kumar Tripathy, - Member; Village-Kajidiha (Near Primary School), PO/PS-Madhupatana, District-Cuttack, State-Odisha-753010 (vi) Shri. Tapu Gapak, - Member; A- Sector, Rakap Colony Road, Near Urban Hospital, Naharlagun P/O-P/S-Naharlagun, Papum Pare District, Arunachal Pradesh (vii) Dr. Krishna Chowlu, - Member: D/O: Mr. Puleen Chowlu Range Officer Namsai, House No. E-148, Near Forest IB Namsai P.O/P.S. Namsai ,District-Namsai, Arunachal Pradesh-792103 (viii) Dr.Ajay Bharti, - Member; Department of Civil Engineering, North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Nirjuli-791109, Arunachal Pradesh

(ix) Shri. Matheim Linggi,

- Member;

Mayu-II, P/O and P/S- Roing Lower Dibang Valley,

District, Arunachal Pradesh-792110

(x) Prof. (Dr) Shailendra Chaudhari,

- Member;

295, Shiv Mandir Marg, Zaroori Bazar,

Ranikhet-263648, Disrtict-Almora

(Uttarakhand)

(xi) Scientist representing Regional Office,

- Member; and

Ministry of Environment, Forest & Climate Change,

Shillong

(xii) Director, Environment,

-Member Secretary.

O/o PCCF, Itanagar

- 7. The Chairperson and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedure as specified in the said notification.
- 9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- 10. In order to avoid any conflict of interest,-
- (i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson and Member of the Committee shall,-
- (a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
- (b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and
- (ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Chairperson or Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.
- 11. The State Government of Arunachal Pradesh shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support

including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson or Member of the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Arunachal Pradesh.

[F. No. J-11013-16/2008-IA-II(I)] RAJAT AGARWAL, Jt Secy.